संख्या-64/2020/1157 /71-3-2020-एन0एम0-02/2019टीसी-3

प्रेषक,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
बस्ती।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनॉक 28 अक्टूबर, 2020**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बस्ती के रक्तकोष विभाग में प्लाज्मा थेरेपी हेतु Aphaeresis Machine के क्रय की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-मे0का0बस्ती/2020-21/2152-55, दिनांक 06.10.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बस्ती के रक्तकोष विभाग में प्लाज्मा थेरेपी हेतु **Aphaeresis Machine** के क्रय हेतु रू0 30.00 लाख तथा किट्स के क्रय हेतु रू0 12.00 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में आपके उपरिसन्दर्भित पत्र दिनांक 06.10.2020 द्वारा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बस्ती में किट्स के क्रय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि किट्स/कन्ज्यूमेबिल्स का क्रय गैर वेतन मद में उपलब्ध धनराशि से किया जाता है। अतः किट्स के क्रय हेतु प्रस्तावित धनराशि रू0 12.00 लाख का व्यय गैरवेतन मद में अवमुक्त धनराशि से कर लिया जाए।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बस्ती के रक्तकोष विभाग में प्लाज्मा थेरेपी हेतु **Aphaeresis Machine** अनुमोदित करते हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष **रू0 30,00,000/- (रूपये तीस लाख मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1. स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बस्ती सोसायटी बायलॉज के बिन्दु संख्या-24 में उल्लिखित उच्च स्तरीय क्रय समिति के अनुमोदन के उपरान्त ही उक्त मशीन का क्रय किया जाए।
2. प्रश्नगत उपकरणों का क्रय एम0सी0आई0 के मानकों के अनुरूप किया जायेगा तथा प्रश्नगत उपकरणों के मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य की होगी।
3. डुप्लीकेसी से बचने हेतु उपकरण क्रय करने से पूर्व सत्यापित करा लिया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि उपकरण की वास्तविक रूप से आवश्यकता है।
4. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रश्नगत उपकरण की स्थापना हेतु स्थान, भवन आदि उपलब्ध है तथा संचालन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध है।
5. स्वीकृत धनराशि से उन्हीं उपकरणों का क्रय किया जायेगा जिसके स्पेसिफिकेशन उपलब्ध हो।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जब उपकरण क्रय सम्बन्धी समस्त औपचारिकतायें की पूर्ति कर ली जाए।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जायेगा, जबकि उपकरणों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
8. उपकरणों के क्रय में 05 वर्ष की वारण्टी/ सी0एम0सी0/ई-प्रोक्योरमेन्ट में इस बिन्दु को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय।
9. उपकरण/संयत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा निर्गत ई-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट/गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल से सम्बन्धित शासनादेशों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

10. उपकरणों के क्रय हेतु शासनादेश संख्या-2737/71-1-2018-जी-307/2017, दिनांक 23-08-2018 एवं संख्या-3964/71-1-2017-जी-283/2017, दिनॉक 11.12.2017 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय।
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उन्हीं कार्य/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किसी अन्य कार्य/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
12. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा, अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरित कर पी0एल0ए0/बैंक खातें आदि में नहीं रखा जायेगा।
13. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग सुसंगत वित्तीय नियमों एवं समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
14. सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रकिया के तहत आवश्यक और उपयोगी उपकरण क्रय किया जाना चाहिए। क्रय की जाने वाली सामग्री की विशिष्टियों, गुणवत्ता व ऑडिट आदि की जिम्मेदारी क्रय करने वाली संस्था की होगी।
15. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 24-03-2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-84-मेडिकल कालेज, बस्ती-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनॉक 24 मार्च, 2020 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या:-64/2020/1157 (1)/71-3-2020 तद्यदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. महानिदेशक, चि0शि0 एवं प्रशि0, उ0प्र0 लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, बस्ती को उनके पत्र सं0-328/0एसडी, दिनांक 07.10.2020 के क्रम में।
5. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बस्ती।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, बस्ती।
8. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in